

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक/सभा/2011/182

जबलपुर, दिनांक 22/10/11

आदेश

महाविद्यालय विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत निर्मित परिनियम एवं शासन द्वारा महाविद्यालयों की जारी की जाने वाली अनापत्ति में स्पष्ट अंकित किया गया है कि सम्बद्धता पूर्व महाविद्यालय कालेज कोड 28 में नियुक्ति कराये विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न महाविद्यालयों में कोड 28 के तहत नियुक्तियों हेतु कमेटियों का गठन विश्वविद्यालय द्वारा किया जा चुका है परन्तु महाविद्यालय द्वारा चयन समिति न कराए जाने की शिकायते प्राप्त हो रही है ।

अतएव आपको सूचित किया जाता है कि कालेज कोड 28 की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करावें । जिन महाविद्यालयों की 28 एवं 27 की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी उन महाविद्यालयों के छात्रों के परीक्षा फार्म, स्वीकार नहीं होंगे । इसकी संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय की होगी । विश्वविद्यालय इस हेतु जिम्मेदार नहीं होगा ।

भवदीय,

सही /—
कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर

पृ० क्रमांक/सभा/2011/182 "अ"
प्रतिलिपि सूचनार्थ -

जबलपुर, दिनांक 22/10/11

1. उपकुलसचिव परीक्षा/गोपनीय, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर ।
2. सहायक कुलसचिव परीक्षा/गोपनीय, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर ।
3. वित्त अधिकारी महोदय, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर ।
4. सहायक कुलसचिव केश/लेखा विभाग, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर ।
5. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर ।
6. संबंधित समस्त महाविद्यालय के प्राचार्यगण ।

सही /—
सहायक कुलसचिव (सभा)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर